



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक 1942 (श10)

(सं0 पटना 889) पटना, बुधवार, 11 नवम्बर 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

19 फरवरी 2020

सं० 2924— श्री रामजानकी सुग्गा मंदिर, कटही पुल, नया टोला, थाना—काजीमुहम्मदपुर, जिला—मुजफ्फरपुर पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—502 है।

इस न्यास की सूचारु प्रबंधन, उन्नयन तथा सम्यक् विकास हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 1176, दिनांक 06.12.2014 के द्वारा ग्यारह सदस्यों की न्यास समिति गठित की गयी थी, जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। नवीन न्यास समिति गठन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी एवं आम सभा द्वारा दिए गए नामों का चरित्र सत्यापन थाना से दिनांक 10.02.2020 को प्राप्त हो चुका है।

उपरोक्त परिस्थिति में उक्त मंदिर के सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक् विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन हेतु एक न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं अखिलेश कुमार जैन, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं०-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री रामजानकी सुग्गा मंदिर, कटही पुल, नया टोला, थाना—काजी मुहम्मदपुर, जिला—मुजफ्फरपुर की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु निम्नांकित योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री रामजानकी सुग्गा मंदिर, कटही पुल, नया टोला, थाना—काजी मुहम्मदपुर, जिला—मुजफ्फरपुर न्यास योजना होगा” तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री रामजानकी सुग्गा मंदिर, कटही पुल, नया टोला, थाना—काजी मुहम्मदपुर, जिला—मुजफ्फरपुर न्यास समिति” होगा। जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा वार्षिक आय-व्यय का विवरण, बजट एवं अंकेंक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत्त एवं देय शुल्क राशि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।
6. **न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलान, बिक्रय, रेहन तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा। अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। साथ ही न्यास समिति के पदाधिकारियों का यह प्रथम कर्तव्य होगा कि न्यास की सभी भू-सम्पत्तियों का जमाबंदी न्यास के नाम से कराकर पर्षद को सूचित करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें।**
7. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
9. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ-साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
10. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकूल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हें सदस्यता से मुक्त किया जा सकता है।
12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

(1)	अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर	—	अध्यक्ष
(2)	श्री बालेश्वर नारायण सिंह	—	उपाध्यक्ष
(3)	श्री अरविन्द कुमार सिंह	—	सचिव
(4)	श्री मुधमंगल ठाकुर	—	कोषाध्यक्ष
(5)	श्री मुरारी प्रसाद सिंह	—	सदस्य
(6)	डा० संजय पंकज	—	सदस्य
(7)	श्रीमती रंजना सिन्हा, अधिवक्ता	—	सदस्य
(8)	श्री चितरंजन सिन्हा कनक	—	सदस्य
(9)	श्री रामचन्द्र सिंह	—	सदस्य
(10)	श्री पशुपति सिंह	—	सदस्य
(11)	श्री नीतीश्वर प्रसाद ओझा	—	सदस्य

श्री विजय दास को मंदिर के दैनिक राग-भोग, पूजा-पाठ के लिए अधिकृत किया जाता है, जिसके एवज में उन्हें 9,000/- रुपये प्रतिमाह पूर्व के आदेशानुसार न्यास समिति द्वारा भुगतान किया जाता रहेगा।

NOTE:- राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम (श्री रामजानकी सुग्गा मंदिर, कटही पुल, नया टोला, थाना-काजीमुहम्मदपुर, जिला-मुजफ्फरपुर) पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संशोधन नहीं होगा।

उपरोक्त न्यास समिति का गठन अस्थाई रूप से किया जाता है, पर्वद के गठन हो जाने के पश्चात् इसको स्थाई किये जाने पर विचार किया जायेगा।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 889-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>